भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1664

दिनांक 29/07/2026 को उत्तर के लिए

क्षमता संवर्धन कार्यक्रम

1664. श्री विनोद लखमशी चावड़ाः
श्री मनोज तिवारीः
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः
श्रीमती रूपकुमारी चौधरीः
श्री आशीष दुबेः
डॉ. के. सुधाकरः

क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) और अन्य जन-जागरूकता कार्यकलापों के माध्यम से लोकतांत्रिक जागरूकता और संसदीय जानकारी को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहलें की गई हैं;

(ख) संसदीय जागरूकता कार्यक्रमों में शैक्षणिक संस्थानों और युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय अपनाए गए हैं;

(ग) प्रौद्योगिकी-सक्षम जन-जागरूकता पहलों के माध्यम से संसदीय जागरूकता, लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक सहभागिता को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण प्रबोधक संसदीय जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा आयोजित कार्यक्रमों की संख्या, प्रशिक्षित प्रतिभागियों, कवर किए गए संस्थानों की संख्या और इसके लिए आबंटित एवं उपयोग की गई निधि कितनी है?

उत्तर

विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

लोकतांत्रिक जागरूकता और संसदीय शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय तीन श्रेणियों में युवा संसद कार्यक्रम आयोजित करता है-

1. प्रतियोगिता आधारित युवा संसद कार्यक्रम - संसदीय कार्य मंत्रालय संबंधित हितधारक संगठनों के साथ मिलकर स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए निम्नलिखित युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करता है:-

i. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता;**
ii. **केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता;**
iii. **जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता;**
iv. **विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता; और**
v. **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता**

2. प्रतिभागिता आधारित युवा संसद कार्यक्रम - मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) का एक वेब-पोर्टल शुरू किया है, ताकि मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम की पहुँच देश के उन हिस्सों और लोगों तक भी हो सके जहाँ यह अब तक नहीं पहुँच पाया था। यह कार्यक्रम स्वैच्छिक है और एनवाईपीएस 2.0 के ज़रिए देश के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है; इसमें लिंग, जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, क्षेत्र या स्थान की कोई बाधा नहीं है। प्रतिभागी तय दिशा-निर्देशों के अनुसार 'संस्थागत/सामूहिक भागीदारी' श्रेणी के तहत युवा संसद की बैठकें आयोजित कर सकते हैं या 'व्यक्तिगत भागीदारी' श्रेणी के तहत ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में भाग ले सकते हैं। सफलतापूर्वक भाग लेने के बाद, एनवाईपीएस हेल्पडेस्क के ज़रिए प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं। अब तक लगभग 1.7 लाख छात्र/नागरिक वेब-पोर्टल आधारित एनवाईपीएस में भाग ले चुके हैं।

3. युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता- संसदीय कार्य मंत्रालय, युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। यह सहायता वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में दी जाती है, जो दावा प्रस्तुत करने और निर्धारित वार्षिक सीमा के अधीन होती है। प्रतिपूर्ति की सीमा इस प्रकार है: 100 सदस्यों तक वाली विधानसभाओं के लिए ₹3 लाख, 101-200 सदस्यों वाली विधानसभाओं के लिए ₹4 लाख, 200 से अधिक सदस्यों वाली विधानसभाओं के लिए ₹5 लाख, और बिना विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ₹2 लाख।

मंत्रालय संसदीय जागरूकता के लिए अलग से कोई अभिविन्यास या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं करता है। हालाँकि, बिंदु (1) में बताई गई हर युवा संसद प्रतियोगिता शुरू होने से पहले, प्रतिभागी संस्थानों के प्रधानाचार्यों, प्रभारी शिक्षकों और समन्वयकों के लिए एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य उन्हें युवा संसद की बैठक आयोजित करने की प्रक्रियाओं और तरीकों से परिचित कराना होता है। इन अभिविन्यास पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रतिभागी संस्थानों को कोई आर्थिक मदद नहीं दी जाती है। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान आयोजित अभिविन्यास पाठ्यक्रमों की जानकारी इस प्रकार है-

क्र.सं.	प्रतियोगिताएं	प्रतिभागी	तरीका
1	जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2025-26	100 विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रभारी शिक्षक	आभासी माध्यम से
2	केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2025-26	200 विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रभारी शिक्षक	आभासी माध्यम से
3	दिल्ली के विद्यालयों के लिए 58वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2025-26	41 विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रभारी शिक्षक	फिजिकल मोड में
4	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए पहली राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2025-26	36 विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रभारी शिक्षक	फिजिकल मोड में
